WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092023-249041
CG-DL-E-29092023-249041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2023/ आश्विन 4, 1945
No. 233] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2023/ ASVINA 4, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2023

मामला संख्याः ए डी (ओआई) -14/2023

विषय: कोरिया गणराज्य, थाइलैंड, और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एपीक्लोरोहाइड्रीन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. **06/15/2023.डीजीटीआर**.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा एडी नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार मेघमनी फाइनकेम लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने कोरिया गणराज्य, थाइलैंड, और चीन जन. गण. (जिन्हें आगे ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''एपीक्लोरोहाइड्रीन'' (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" या "ईसीएच" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है ।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की स्थापना वास्तविक रूप से बाधित हुई और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। तद्नुसार आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एपीक्लोरोहाइड्रीन, संक्षिप्त रूप में ईसीएच है। इस उत्पाद, जिसे सीमाशुल्क वर्गीकरण में भी प्रयुक्त किया गया है, का रासायनिक नाम 1-क्लोरो-2,3- एक्पोक्सीप्रोपेन है। इसका रसायन फार्मूला C_3H_5ClO है।

4. यह एक तीखी लहसुन जैसी महक वाला रंगहीन तरल है जो जल में मामूली रूप से विलेय है, जिसे आम तौर पर 99 प्रतिशत से अधिक की शुद्धता के साथ उत्पादिंत किया जाता है। इसका अधिकांशत: एपोक्सीरेजिन बनाने में प्रयोग होता है जो इसकी खपत का लगभग 80 प्रतिशत बनता है। इसे भेषज एपीआई, जल उपचार, कागज रसायन, सिंथेटिक रबड़, सर्फेक्टेंट, अधेसिव, इलेस्टोमर्स, प्लास्टिक तथा रबड़ और कांगज में मजबूतीवर्धक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इस उत्पाद को प्रोपलीन तथा ग्लेसरीन प्रयोगद्वारा उत्पादित किया जा सकता है।

5. विचाराधीन उत्पाद को पारंपरिक रूप से प्रोपीलीन के प्रयोग द्वारा उत्पादित किया जाता है जहां एलाइन क्लोराइड के उत्पादन हेतु उच्च तापमान पर प्रोपीलीन का क्लोरीनेशन होता है। एलाइल क्लोराहड पृथक होने और एलाइल क्लोराइड के हाइड्रोक्लोरीनेशन के बाद भी डीक्लोरोहाइडाइन उत्पादित होता है और एलीक्लोराइड प्राप्त होता है डीक्लोरोहाइडाइन ईसीएच के उत्पादन हेतु साबुनीकरण से गुजरती है जिसे बाद में शुद्धीकृत किया जाता है। तथापि, इस उत्पाद प्रक्रिया से अत्यधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है और इस प्रकार निपटान हेतु उच्च पूंजीगत व्यय अपेक्षित है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अब ईसीएच को जैव आधारित ग्लाइसीरीन के प्रयोग से उत्पादित किया जा रहा है जो एक पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रक्रिया है।

6. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के शीर्ष 2910 के उपशीर्ष 2910 30 00 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु में कोई ज्ञात खास अंतर नहीं है। यद्यपि आवेदक ने जैव आधारित ग्लाइसरीन पद्धति से संबद्ध वस्तु उत्पादित की है। तथापि, इस उत्पाद को प्रोपीलीन के प्रयोग द्वारा भी उत्पादित किया जा सकता है। आवेदक ने बताया है कि प्रोपीलीन के प्रयोग से विनिर्मित और ग्लाइसरीन के प्रयोग से उत्पादित उत्पाद में कोई अंतर, यदि कोई हो, नहीं है। दोनों पद्धतियों के प्रयोग से उत्पादित ईसीएच में समान तकनीकी और भौतिक विशेषताएं, अनुप्रयोग, कीमत निर्धारण और उपभोक्ता होते हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित वस्तु से तकनीकी विनिर्देशनों, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अत: प्रस्तावित जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां निर्यातित संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" के रूप में माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. यह आवेदन मेघमनी फाइनकैम लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक देश में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है जिसने जून, 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है।

9. आवेदक ने बताया है कि उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और यह कि वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के आयातक से संबंधित नहीं है।

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेघमनी फाइनकैम लिमिटेड भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक का भारत में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। उक्त के मद्देनजर और आवश्क जांच के बाद प्राधिकारी

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

नोट करते हैं कि आवेदक नियम नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. सामान्य मूल्य

कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने दावा किया है कि उसे कोरिया गणराज्य में घरेलू बिक्री कीमत का कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। अत: आवेदक ने कोरिया गणराज्य से किसी उचित तीसरे देश अर्थात जापान को निर्यात की कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु ट्रेड मैप आंकड़ों के जरिए प्राप्त किया है, यह विचार करते हुए कि जापान को निर्यातों की उस मात्रा को दर्शाती है जो भारत को निर्यातों से तुलनीय हो। ट्रेड मैप से ली गई एफओबी कीमत को कारखाना द्वार सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजित किया गया है। कोरिया गणराज्य के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्य के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं।

थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने दावा किया है कि उसे थाइलैंड में घरेलू बिक्री कीमत का कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। अत: आवेदक ने थाइलैंड से किसी उचित तीसरे देश अर्थात कोरिया गणराज्य को को निर्यात की कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु ट्रेड मैप आंकड़ों के जरिए प्राप्त किया है, यह विचार करते हुए कि कोरिया गणराज्य को निर्यात की मात्रा उस मात्रा को दर्शाती है जो भारत को निर्यातों से तुलनीय है। ट्रेड मैप से ली गई एफओबी कीमत को कारखाना द्वार सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजित किया गया है। थाइलैंड के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्य के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं।

चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(ए)(i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन पीआर में उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में नियमों के अनुबंध I के पैरा 8 (3) के संदर्भ में विषय वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है। विचाराधीन उत्पाद का. आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि यदि उत्तर देने वाले चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी बाजार-संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए। नियम।

14. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में लागत या कीमत से संबंधित डेटा या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है। आवेदक ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और मुनाफे में उचित वृद्धि के साथ उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।

ङ. निर्यात कीमत

15. संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों में यथासूचित संबद्ध वस्तु की सीआईएफ कीमत स्वीकार करते हुए निर्धारित की गई है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा और बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं। संबद्ध देशों के लिए दावा की गई निर्यात कीमत के पर्याप्त साक्ष्य हैं ।

च. पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है। प्राधिकारी ने तिमाही आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना की है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है और पाटन मार्जिन जांच की शुरूआत को उचित ठहराने के लिए न्यूनतम सीमा से अधिक है।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने यह सिद्ध करते हुए प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि आयातों ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना के वास्तिवक रूप से बाधित किया है। आवेदक ने दावा किया है कि आयातों की मात्रा में घरेलू उद्योग के उत्पादन शुरू करने के बावजूद भारी वृद्धि हुई है जबकि कीमतें कच्ची सामग्री की लागत से भी कम हो गई हैं। यह भी दावा किया गया है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग की वास्तविक और अनुमानित कीमत में कटौती हो रही है और घरेलू कीमतों में भारी गिरावट से घरेलू कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है। आवेदक ने विशेष ध्यान दिलाया है कि वे काफी कम कीमत पर आयातों के कारण अपनी अनुमानित कीमत वसूलने में असमर्थ रहे हैं। इससे कम क्षमता उपयोग उत्पादन और बिक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है जो अनुमानित स्तर से काफी कम है क्योंकि आयातों ने घरेलू उद्योग को उनकी 50 प्रतिशत प्रचालन अवधि में उत्पादन बंद करने के लिए बाध्य कर दिया है। आधे से अधिक बाजार हिस्से की मांग पूरी करने की क्षमता के बावजूद घरेलू उद्योग केवल 10 प्रतिशत से कम मांग पूरी कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप काफी मालसूची एकत्रित हो गई है। आवेदकों ने दावा किया है कि वे अपनी परिवर्तनशील लागतों की भी वसूली करने में असमर्थ हैं और उन्हें भारी घाटा, नकद घाटा और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय का सामना करना पड़ा है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा वास्तविक मंदी के रूप में घरेलू उद्योग को हुई क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसी कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. संबद्ध देश

19. आवेदक ने चीन जनवादी गणराज्य, ताइवान, कोरिया गणराज्य तथा थाइलैंड किंगडम से आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया था। हालाँकि, प्राधिकरण ने निर्धारित किया है कि ताइवान से होने वाले या निर्यात किए गए आयात के लिए डंपिंग मार्जिन नकारात्मक है। तद्नुसार प्राधिकारी ने ताइवान से आयातों के संबंध में जांच की शंरूआत करना उचित नहीं पाया है। तद्नुसार वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश कोरिया गणराज्य, थाइलैंड और चीन जन.गण. हैं।

ञ. जांच की अवधि

20. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 माह) की है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच अवधि और तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि शामिल है। इसके अलावा, चूंकि आवेदक केवल जांच की अवधि के दौरान परिचालन में था, इसलिए आवेदक के तिमाही प्रदर्शन का भी विश्लेषण किया जा सकता है।

ट. प्रक्रिया

21. नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच के लिए पालन किया जाएगा।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

22. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, और adg13-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

23. संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उत्पादक को नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ईमेल पतों में निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे प्राधिकारी की आधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें।

ड. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस नोटिस के प्राप्त की तारीख से तीस दिन (30 दिन) के भीतर प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियामवली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान जांच में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली/अनुरोधों का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

30. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से गोपनीय या अगोपनीय अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

32. अगोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है। अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेज़ का गैर-गोपनीय संस्करण प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप से अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

35. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. <u>सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण</u>

36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश भेज दें । अनुरोधों/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।

त. <u>असहयोग</u>

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2023

Case No – AD(OI) – 14/2023

Subject: - Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of "Epichlorohydrin" originating in or exported from Korea RP, Thailand and China PR.

F. No. 06/15/2023-DGTR.—1. Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules or AD Rules"), Meghmani Finechem Limited (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Epichlorohydrin" (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "product under consideration" or "ECH") originating in or exported from Korea RP, Thailand and China PR (hereinafter referred to as the "subject countries").

2. The applicant has alleged that dumping of imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries has materially retarded the establishment of the domestic industry and has caused material injury to the domestic industry. Accordingly, the applicant has requested for the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries.

A. <u>Product under consideration</u>

3. The product under consideration in the present investigation is Epichlorohydrin, abbreviated as ECH. The

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

chemical name of the product, which is also used in the customs classification is 1-chloro-2,3-expoxypropane. Its chemical formula is C_3H_5ClO.

4. It is a colourless liquid with a pungent, garlic-like odour, moderately soluble in water, generally produced with purities of greater than 99%. It is majorly used to make epoxy resins, which account for nearly 80% of its consumption. It is also used in pharmaceutical API, water treatment, paper chemicals, synthetic rubbers, surfactants, adhesives, elastomers, plastics and rubbers and as a strength additive in papers. The product can be produced using propylene as well as using glycerine.

5. The product under consideration is conventionally produced using propylene, where propylene chlorination is done at high temperatures to produce allyl chloride. Following allyl chloride separation and allyl chloride hydrochlorination, dichlorohydine is produced and allychloride is recovered. Dichlorohydine undergoes saponification to produce ECH which is then purified. However, such a production process results in high waste generation and thus, requires high capital expenditure for disposal. To overcome these challenges, ECH is now produced using bio-based glycerine, which is an environment friendly production process.

6. The subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under the heading 2910 under the subheading 2910 30 00. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

B. <u>Like article</u>

7. The applicant has claimed that there are no known significant differences in the goods produced by the domestic industry and those exported from the subject countries. While the applicant has produced the subject goods using the bio-based glycerine route, the product can be produced using the propylene route as well. The applicant has submitted that there are no differences in the product manufactured using propylene, if any, and that produced using glycerine. ECH produced using both routes have the same technical and physical characteristics, applications, pricing and customers. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject countries in terms of technical specifications, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The applicant claimed that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the proposed investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as 'like articles' to the subject goods originating in or exported from the subject countries.

C. <u>Domestic industry and standing</u>

8. The application has been filed by Meghmani Finechem Limited. The applicant is the sole producer of the subject goods in the country, having commenced commercial production in June 2022.

9. The applicant has stated that it has not imported the subject goods from the subject countries and that it is not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or importer of the subject goods in India.

10. The Authority notes that Meghmani Finechem Limited is the sole producer of like article in India. The applicant accounts for a major proportion of the total domestic production in India. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. <u>Normal value</u>

<u>Normal value for Korea RP</u>

11. The applicant has claimed that it did not have access to any evidence of domestic selling price in Korea RP. Thus, the applicant has adopted the price of exports from Korea RP to an appropriate third country, that is Japan, derived through Trade Map data for the determination of normal value, considering that the volume of exports to Japan represents the volume of exports that are comparable to exports to India. The FOB prices derived from the Trade Map have been adjusted for port expenses, inland freight, commission and bank charges to determine ex-factory normal value. There is sufficient *prima facie* evidence of normal value claimed for Korea RP.

<u>Normal value for Thailand</u>

12. The applicant has claimed that it did not have access to any evidence of domestic selling prices in Thailand. Thus, the applicant has adopted the price of exports from Thailand to an appropriate third country, that is Korea RP, derived through Trade Map data for the determination of normal value, considering that the volume of exports to Korea RP represents the volume of exports that are comparable to exports to India. The FOB prices derived from the Trade map have been adjusted for port expenses, inland freight, commission and bank charges to determine ex-factory normal value. There is sufficient *prima facie* evidence of normal value claimed for Thailand.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

Normal Value for China PR.

13. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that the producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the Rules with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Rules.

14. The applicant has submitted that the data relating to cost or price in a market economy third country or recourse to other alternative methods is not available at this stage. The applicant has constructed the normal value based on the best estimates of the cost of production in India as per the best information available with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits. There is sufficient *prima facie* evidence of normal value claimed for Thailand.

E. Export price

15. The export price of the subject goods has been determined by considering the CIF price of the subject goods, as reported in the DGCI&S data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight, and bank charges to arrive at an ex-factory export price. There is sufficient evidence of export prices claimed for the subject countries.

F. Dumping margin

16. The normal value and export price have been compared at the ex-factory level. The Authority has compared the normal value and export price on a quarterly basis. There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries into the Indian market and the dumping margin is above *de-minimis* so as to justify the initiation of the investigation.

G. Injury and Causal link

17. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished *prima facie* evidence establishing that the imports have materially retarded the establishment of the domestic industry in India. The applicant has claimed that the volume of imports has increased significantly despite the domestic industry commencing production, while the prices have declined even below the raw material cost. It has also been claimed that the imports are undercutting the actual as well as the projected prices of the domestic industry, and the significant decline in prices is suppressed and depressed the domestic prices. The applicant has highlighted that they have been unable to achieve their projected prices due to the significantly low import prices. This has adversely impacted the performance of the domestic industry with respect to low-capacity utilization production and sales, which are much below the projected levels as the imports forced the domestic industry to suspend operations for 50% of their operating period. Despite having the capacity to cater to more than half the market share, the domestic industry has been able to cater to less than 10%, resulting in a significant accumulation of inventories. The applicant has claimed that they are unable to recover even their variable costs and have faced significant losses, cash losses and negative return on capital employed. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry in the form of material retardation by the dumped imports from the subject countries to justify the initiation of an anti-dumping investigation.

H. Initiation of Anti-Dumping Investigation

18. On the basis of the duly substantiated application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Subject countries

19. The applicant had requested the initiation of an anti-dumping investigation into imports from the People’s Republic of China, Taiwan, the Republic of Korea and the Kingdom of Thailand. However, the Authority has determined that the dumping margin for imports originating in or exported from Taiwan is negative. Accordingly, the Authority has not found it appropriate to initiate an investigation into imports from Taiwan.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

Therefore, the subject countries for the present anti-dumping investigation are Korea RP, Thailand and China PR.

J. Period of investigation

20. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). The injury analysis period covers the period of investigation and the three preceding financial years 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the period of investigation. Further, since the applicant was operational only during the period of investigation, the quarterly performance of the applicant may also be analyzed.

K. Procedure

21. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

L. Submission of Information

22. All communication should be sent to the Authority via email at the email addresses dd15-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, and adg13-dgtr@gov.in, It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Work format and data files are in MS Excel format.

23. The known producers/exporters from the subject countries, their Governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic producer are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

24. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email addresses mentioned hereinabove.

25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

26. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority http://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

M. Time Limit

27. Any information relating to the present investigation should be to the Authority via email at the email addresses dd15-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, and adg13-dgtr@gov.in, within thirty days (30 days) from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of the explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.

28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

N. Submission of information on a confidential basis

29. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

30. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

31. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.

34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

O. Inspection of Public File

36. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/responses/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

P. Non-cooperation

37. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.